

18.05.2022:—पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण रमेश कुमार आदि जरिये अधिवक्ता श्री सुरेश दादरवाल द्वारा पूर्व पेशी प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ राजीनाम हो गया है। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर वादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेश दादरवाल द्वारा की गई उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपात्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो जाते

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

